सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी
SARDAR VALLABHBHAI PATEL NATIONAL POLICE ACADEMY
(भारत सरकार : गृह मंत्रालय) (**Government of India : Ministry of Home Affairs**)
हैदराबाद रू **Hyderabad– 500 052.**

Inter Office Note

Sub : Notified Recruitment Rules for the post of SI (Works)- Reg.

A copy of notified Recruitment Rules for the post of Sub-Inspector (Works) is enclosed herewith for uploading the same in Academy website under "Recruitment Rules" column

2/1

(N.Madhusudhana Reddy)
I/c Deputy Director (Estt)

Assistant Director (IT)

No. 19011/1/2009/Estt/RRs/A-5/SI (Works) Dated: 02.01.2019

Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled up by various methods
(10)
By direct recruitment **Note**. Vacancies caused by the incumbents being away on deputation or long illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation basis from officers of Central Government,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level 6 in the pay matrix (Rs. 35400-112400), in the parent cadre or department; and (b) possessing the educational qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7). **Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The maximum age-limit for appointment by deputation (including Short-Term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption to be made	If a Departmental Confirmation Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Not applicable	**Group 'B' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :-** (i) Additional Director, North Eastern Police Academy - Chairperson (ii) Joint Director, North Eastern Police Academy -Member; and (iii) Deputy Director, North Eastern Police Academy - Member	Consultation with Union Public Service Commission is necessary while making direct recruitment.

[F. No. 23012/09/2016-PC (C. F. No. – 3345062]
AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि. 392.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में उप–निरीक्षक (निर्माण) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम – सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, उप–निरीक्षक (निर्माण) भर्ती नियम, 2018 है।

(ii) ये, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—पद संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा और अर्हताएं, आदि.— भर्ती की पद्धति, आयु–सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, आदेश द्वारा वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों, अन्य पिछड़ा वर्ग और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
उप–निरीक्षक (निर्माण)	01' (2018) 'कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' गैर राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर – 5 (रु. 29200–92300)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं , प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	**भर्ती की पद्धति :** भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हैं तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य पुलिस संगठनों के अधिकारियों में से; i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश्य पद धारण करने वाले; या ii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर–5, रु. 2900–92,300/– या समकक्ष में	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता।

नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई श्रेणी में 2 वर्ष की सेवा के बाद सहायक उप–निरीक्षक; और iii) मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में स्तर–4, रु. 25,500–100/– या समकक्ष में नियमित आधार पर नियुक्ति के बाद प्रदान की गई श्रेणी में 5 वर्ष की सेवा के बाद प्रधान आरक्षक; और **वांछनीय** i) किसी भी सरकारी संस्थान या सरकारी मान्यताप्राप्त संस्थान से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा; और ii) कम्प्यूटर का कार्यसाधक ज्ञान। **टिप्पण 1** : केन्द्रीय सरकार के वही या कोई अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से तत्काल पहले दूसरे भूतपूर्व काडर के पद पर होने में प्रतिनियुक्ति की अवधि सहित प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणया 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। , **टिप्पण 2**: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति हेतु उच्चतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 56 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।		

[फा. सं. 23011/45/2017–पीटी]

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

New Delhi, the 7th December, 2018

G.S.R. 392.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Sub-Inspector (Works) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, the Ministry of Home Affairs, namely :-

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Sub-Inspector (Works) Recruitment Rules, 2018.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification and level in the pay matrix.**—The number of posts, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.**— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. **Disqualification.**—No person,-

   (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

   (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

   shall be eligible for appointment to the above said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage, and that there are grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.**—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for the reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Ex-Servicemen, Other Backward class and the other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sub-Inspector (Works)	01* (2018). *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group-'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level -5 (Rs. 29,200-92,300)	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotes	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the post to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	By deputation

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grades from which promotion or deputation or absorption is to be made
(11)
Deputation : Officers of the Central Armed Police Forces or the State Police Organisations: (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or (ii) Assistant Sub-Inspector with two years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-5 in the pay matrix Rs. 29,200-92,300 or equivalent, in the parent cadre or department; and (iii) Head Constables with five years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis in level-4 in the pay matrix Rs. 25,500-81,100 or equivalent, in the parent cadre or department. **Desirable:** (i) Diploma in Civil Engineering from any Government Institution or Government recognised Institution; and (ii) working knowledge of Computers.

Note 1. The period of deputation including the period of deputation in another *ex-cadre* post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years.

Note 2. The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty six years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable	Not applicable.

[F.No. 23011/45/2017-PT]
AJAY KUMAR SINGH, Under Secy.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2018

सा.का.नि.393.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (समूह 'ग') भर्ती नियम, 1990, जहां तक यह उच्च श्रेणी लिपिक के पद से संबंधित है, के अधिक्रांत करते हुए उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय के तहत अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता में उच्च श्रेणी लिपिक के पद पर भर्ती की प्रक्रिया को विनियमित करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय स्वच्छता और लोक स्वास्थ्य संस्थान, कोलकाता (उच्च श्रेणी लिपिक), भर्ती नियम, 2018 है।
   (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान.**—पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उनसे संबद्ध वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं.**—उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पद से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
4. **निरर्हता.**—वह व्यक्ति, -

   (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या

   (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है ,

   उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

   परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
5. **शिथिल करने की शक्ति.**—जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।